



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03042023-244913
CG-DL-E-03042023-244913

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 78]

नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 3, 2023/चैत्र 13, 1945

No. 78]

NEW DELHI, MONDAY, APRIL 3, 2023/CHAITRA 13, 1945

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जांच शुरूआत अधिसूचना

नई दिल्ली 31 मार्च, 2023

मामला सं. एडी (ओ.आई.) - 1/2023

विषय : चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित “401 व्यास (99 एमएम) और 300 व्यास (73 एमएम) के माप के इलेक्ट्रोलाइटिक टिन प्लेट (ईटीपी) सहित ईजी ओपन एंड ऑफ टिन प्लेट” के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच शुरू करने के संबंध में।

1. फा. सं. 6/1/2023-डीजीटीआर.—मै. ईजी ओपन एंड्स इंडिया प्रा० लि० (एक एमएसएमई इकाई) (इसके बाद इसे “आवेदक” अथवा “याचिकाकर्ता” के रूप में भी कहा गया है) ने चीन जन. गण. (इसके बाद इसे “संबद्ध देश” के रूप में कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित “401 व्यास (99 एमएम) और 300 व्यास (73 एमएम) के माप के इलेक्ट्रोलाइटिक टिन प्लेट (ईटीपी) सहित ईजी ओपन एंड ऑफ टिन प्लेट” (इसके बाद इसे “संबद्ध वस्तुएं” अथवा “विचाराधीन उत्पाद” के रूप में कहा गया है) के आयातों के संबंध में एक पाटनरोधी जांच शुरू करने के लिए समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (इसके बाद से “अधिनियम” के रूप में भी कहा गया है) और समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 (इसके बाद इसे “नियमावली” अथवा “पाटनरोधी नियमावली” के रूप में भी कहा गया है) के अनुसार, घरेलू उद्योग की ओर से निर्दिष्ट प्राधिकारी (इसके बाद इसे “प्राधिकारी” के रूप में भी कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन दायर किया है।

2. आवेदक ने यह आरोप लगाया है कि संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हो रही है और संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के आयात पर पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया है।

क. विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी)

3. आवेदन में विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) "401 व्यास (99 एमएम) और 300 व्यास (73 एमएम) के माप के इलेक्ट्रोलाइटिक टिन प्लेट (ईटीपी) सहित ईजी ओपन एंड ऑफ टिन प्लेट" हैं।
4. संबद्ध वस्तुएं ऐसे डिब्बे (केन)/कंटेनरों के ढक्कन खोलने या सिरों को खोलने में आसानी के लिए आवश्यक होती हैं, जिनका उपयोग उपयोज्य और अन्य वस्तुओं जैसे ताजा और संरक्षित खाद्य पदार्थों और पेय पदार्थों की पैकेजिंग में किया जाता है। संबद्ध वस्तुओं से आसान खुले सिरों (ईजी ओपन एंड) को ढका जाता है, जिनका निर्माण इलेक्ट्रोलाइटिक टिन प्लेट (ईटीपी) सहित टिन प्लेट का उपयोग करके किया जाता है और ये पूर्ण अपर्चर अथवा पूरी तरह खोलने योग्य प्रकृति के होते हैं और ये सामान्यतः लैकर लगाए जाते हैं और इन पर आसान खुले सिरों (ईजी ओपन एंड)/ढक्कन (लिड) के टॉप पर खोलने संबंधी अनुदेश मुद्रित होते हैं। पैकेजिंग में डिब्बे/कंटेनर पर प्रयोग किए/लगाए जाने वाले परंपरागत ढक्कन (लिड) में एक बाहरी उपकरण (टूल) अथवा ढक्कन को खोलने के लिए बल की आवश्यकता होती है, जबकि ईजी ओपन एंड को ईजी ओपन एंड के ही बाहर की ओर लगी रिंग को खींचकर निर्बाध रूप से खोला जा सकता है।
5. साथ ही, संबद्ध वस्तुएं केवल ऐसे आसान खुले सिरों (ईजी ओपन एंड) को कवर करती हैं, जो 401 व्यास (99 एमएम) और 300 व्यास (73 एमएम) के माप के हैं, जिनमें कि 401 व्यास 4 इंच को दर्शाता है और एक इंच का 1/16वां भाग तथा 300 व्यास 3 इंच को दर्शाता है। ये माप व्यापक रूप से डिब्बों/कंटेनरों और ढक्कन के उत्पादकों द्वारा अपनाए गए यूनिवर्सल मापों के अनुरूप हैं ताकि डिब्बों/कंटेनरों के साथ ढक्कनों (लिड) को उचित तरीके से सीवन (सीमिंग) किया जा सके। उत्पाद को आम तौर पर उत्पाद के माप को दर्शा करके कारोबार किया जाता है और प्रायः मिलीमीटर (एमएम) के संदर्भ में भी माप का उल्लेख किया जाता है।
6. स्पष्टता के लिए, विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) के दायरे में निम्नलिखित शामिल नहीं हैं :-
 - क) ऐसे आसान खुले सिरे (ईजी ओपन एंड), जो टिन प्लेट के अलावा अन्य सामग्रियों से निर्मित होते हैं, जैसे एल्यूमिनियम, टिन फ्री शीट आदि।
 - ख) किसी भी मेक/इनपुट सामग्री के ऐसे आसान खुले सिरे (ईजी ओपन एंड), जिनका माप 401 व्यास (99 एमएम) और 300 व्यास (73 एमएम) के अलावा अन्य माप का है।
 - ग) किसी भी मेक और माप के आंशिक या लघु छिद्र (अपर्चर) के आसान खुले सिरे (ईजी ओपन एंड)
7. विचाराधीन उत्पाद सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 83 और आगे सीमा शुल्क उप शीर्ष सं. 83099020 के तहत बेस मेटल की विविध वस्तुओं के अंतर्गत आते हैं, जो कि विचाराधीन उत्पाद के लिए एक समर्पित वर्गीकरण नहीं है। तथापि, आवेदक ने यह दावा किया है कि किसी अन्य शीर्ष/टैरिफ मद के तहत विचाराधीन उत्पाद के आयात की संभावना है। विचाराधीन उत्पाद के लिए एचएस वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और यह किसी भी तरह से उत्पाद के दायरे के संबंध में बाध्यकारी नहीं है।

ख. समान वस्तु

8. आवेदक ने यह दावा किया है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुओं और संबद्ध देश से आयातित संबद्ध वस्तुओं में कोई ज्ञात अंतर नहीं है। दोनों ही वस्तुएं भौतिक और रासायनिक गुणों, कार्यों और उपयोगों, कीमत, वितरण और विपणन, तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण के संदर्भ में तुलनात्मक हैं। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि दोनों उत्पाद तकनीकी और वाणिज्यिक दृष्टि से प्रतिस्थापनीय हैं। उपभोक्ताओं ने दोनों उत्पादों को एक दूसरे के स्थान पर बदल-बदल कर प्रयोग किया है और प्रयोग कर रहे हैं। अतः वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुएं संबद्ध देश से आयात की जा रही संबद्ध वस्तुओं के 'समान वस्तु' मानी जा रही हैं।

ग. पीसीएन प्रणाली

9. जांच के लिए सभी हितबद्ध पक्षकार इस अधिसूचना के जारी होने से 20 दिनों के भीतर, पीसीएन के निर्माण के लिए, यदि कोई प्रस्ताव हो, तो अपने प्रस्ताव प्रदान कर सकते हैं।

घ. संबद्ध देश

10. वर्तमान जांच के लिए संबद्ध देश चीन जन. गण. है।

ड. जांच की अवधि (पीओआई)

11. आवेदक ने 1 अक्टूबर 2021 से 30 सितंबर 2022 (12 महीने) को प्रस्तावित पीओआई माना है हालांकि, प्राधिकरण पीओआई को 1 जनवरी 2022 से 31 दिसंबर 2022 (12 महीने) तक मानने का प्रस्ताव करता है। क्षति जांच अवधि में अप्रैल 2019-मार्च 2020, अप्रैल 2020-मार्च 2021, अप्रैल 2021-मार्च 2022 और जांच अवधि शामिल होगी।

च. घरेलू उद्योग और आधार

12. यह आवेदन मै० ईजी ओपन ऐंड्स इंडिया प्रा० लि० (एक एमएसएमई इकाई) द्वारा दायर किया गया है। आवेदक ने यह दावा किया है कि वह भारत में विचाराधीन उत्पाद का एकमात्र उत्पादक है जिसके पास भारतीय उत्पादन का 100 प्रतिशत हिस्सा है। आवेदक ने यह दावा किया है कि वे पाटनरोधी नियमावली के नियम 2 (ख) के तात्पर्य से भारत में संबद्ध वस्तुओं के किसी आयातक अथवा संबद्ध देश में संबद्ध वस्तुओं के किसी उत्पादक/ निर्यातक से संबद्ध नहीं है।
13. प्रदान की गई सूचना के अनुसार, आवेदक ने जांच की अवधि और क्षति अवधि के दौरान चीन जन. गण. से संबद्ध वस्तुओं का आयात नहीं किया है। तथापि, आवेदक ने जांच की अवधि के बाद की अवधि में विचाराधीन उत्पाद के आयात के एक बार के ब्यौरे प्रदान किए हैं, जिसके लिए जांच की अवधि के दौरान, ऐसे आयात के लिए कारणों के साथ आदेश दिया गया था। यह नोट किया जाता है कि चीन जन. गण. से आवेदक द्वारा यहां तक कि जांच की अवधि के बाद की अवधि के दौरान भी किए गए आयातों की मात्रा घरेलू उद्योग को पात्र बनने से अयोग्य करने के लिए पर्याप्त नहीं है।
14. प्रदान की गई सूचना के आधार पर, प्राधिकारी प्रथम दृष्ट्या संतुष्ट है कि यह आवेदन नियमावली के नियम 2 (ख) और नियम 5 (3) में निहित प्रावधानों के अनुसार घरेलू उद्योग द्वारा अथवा उसकी ओर से किया गया है।

छ. कथित पाटन का आधार**चीन जन. गण. के लिए सामान्य मूल्य**

15. आवेदक ने यह दावा किया है कि चीन के एक्सेसन प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15 (क) (i) तथा पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 के अनुसार चीन जन. गण. के उत्पादक का सामान्य मूल्य चीन जन. गण. में प्रचलित लागत अथवा घरेलू बिक्री कीमत के आधार पर केवल तभी निर्धारित किया जा सकता है, जब चीन जन. गण. से प्रतिवादी उत्पादक यह प्रदर्शित करें कि उनकी लागत और कीमत संबंधी सूचना बाजार से संचालित सिद्धांतों पर आधारित है और पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 1 से 6 के संदर्भ में उचित तुलना होती है, अन्यथा संबद्ध देश से उत्पादकों के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 और 8 के आधार पर किया जाए।
16. आवेदक ने यह दावा किया है कि एक बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में लागत अथवा कीमत से संबंधित आंकड़े अथवा अन्य वैकल्पिक तरीके इस अवस्था में उपलब्ध नहीं हैं। अतः सामान्य मूल्य का निर्माण, तर्कसंगत लाभ मार्जिन के साथ बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्ययों को पूरी तरह से समायोजित करने के बाद उपलब्ध सर्वोत्तम सूचना के अनुसार संबद्ध वस्तुओं की भारत में उत्पादन की लागत के सर्वोत्तम अनुमानों के आधार पर किया गया है।

निर्यात कीमत

17. आवेदक ने द्वितीयक स्रोत डेटा के अनुसार सूचित की गई, भारत में आयातों की सीआईएफ कीमत को लिया है और कारखाना बाह्य निर्यात कीमत का निर्धारण करने के लिए समुद्री मालभाड़ा, समुद्री बीमा, स्वदेशी मालभाड़ा, दस्तावेजी प्रभारों, हैंडलिंग और क्लीयरिंग चार्ज तथा क्रेडिट लागत के संबंध में समायोजनों का दावा किया है।

पाटन मार्जिन

18. सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की तुलना कारखाना बाह्य स्तर पर प्रति पीस आधार पर की गई है, जो प्रथम दृष्ट्या यह दर्शाता है कि पाटन मार्जिन न्यूनतम के स्तर से अधिक है और संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद के संबंध में महत्वपूर्ण है। इस प्रकार, प्रथम दृष्ट्या पर्याप्त साक्ष्य है कि संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद को, संबद्ध देश से निर्यातकों द्वारा भारत के घरेलू बाजार में पाटित किया जा रहा है।

ज. क्षति और कारणात्मक संबंध

19. आवेदक द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना को घरेलू उद्योग को क्षति होने के आकलन के लिए विचार में लिया गया है। आवेदक ने, भारत में उत्पादन और खपत की तुलना में निरपेक्ष और सापेक्ष संदर्भ में पाटित आयातों की मात्रा में वृद्धि के रूप में कथित पर्याप्त आयातों के कारण घरेलू उद्योग को हुई क्षति के संबंध में प्रथम दृष्ट्या साक्ष्य प्रदान किए हैं। आवेदक ने यह दावा किया है कि आयातों से घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती हो रही है और संबद्ध आयातों के कारण घरेलू उद्योग कीमतों में वृद्धि नहीं कर पाया, जिससे कि पूरी लागत की वसूली और तर्कसंगत लाभ होता। घरेलू उद्योग ने वित्तीय हानि का सामना किया है जैसा कि जांच की अवधि के दौरान नकारात्मक पीबीटी, नकारात्मक पीबीआईटी, नकारात्मक पीबीडीआईटी और नकारात्मक आरओआई सहित नकदी हानि में प्रदर्शित होता है। साथ ही, जांच की अवधि के दौरान उत्पादन, बिक्री, और क्षमता उपयोग जैसे मात्रा संबंधी मापदंडों में गिरावट दर्शाई गई है।
20. चीन जन. गण. से संबद्ध वस्तुओं के पाटित आयातों से घरेलू उद्योग को हो रही क्षति के प्रथम दृष्ट्या पर्याप्त साक्ष्य हैं।

झ. पाटनरोधी जांच की शुरुआत

21. आवेदक द्वारा विधिवत साक्ष्य सहित लिखित आवेदन के आधार पर और संबद्ध देश मूल की अथवा निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के पाटन, घरेलू उद्योग को क्षति और ऐसे कथित पाटन तथा क्षति के बीच कारणात्मक संबंध के बारे में प्रस्तुत किए गए प्रथम दृष्ट्या साक्ष्य के आधार पर स्वयं संतुष्ट होने के बाद और पाटनरोधी नियमावली के नियम 5 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9 के अनुसार, प्राधिकारी एतद्वारा एक जांच शुरू करते हैं ताकि संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के संबंध में किसी कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण किया जा सके और पाटनरोधी शुल्क की ऐसी मात्रा की सिफारिश की जा सके जो यदि लगाया जाता है, तो यह घरेलू उद्योग की क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगी।

ञ. प्रक्रिया

22. वर्तमान जांच में पाटनरोधी नियमावली के नियम 6 के तहत विनिर्दिष्ट सिद्धांतों का पालन किया जाएगा।

ट. सूचना की प्रस्तुति

23. निर्दिष्ट प्राधिकारी को सभी पत्राचार ई-मेल के द्वारा इन ईमेल पतों, adg16-dgtr@gov.in, adv13-dgtr@gov.in, jd12-dgtr@gov.in और jd16-dgtr@gov.in पर करने चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनुरोध का विवरणात्मक भाग सर्व करने योग्य पीडीएफ/ एमएस फॉर्मेट में होना चाहिए और डेटा फाइलें एमएस एक्सेल फॉर्मेट में हों।
24. संबद्ध देश में ज्ञात निर्यातकों/ उत्पादकों, भारत में उनके दूतावासों के जरिए संबद्ध देशों की सरकारों, भारत में संबद्ध वस्तु से संबंधित समझे जाने वाले आयातकों और प्रयोक्ताओं को, इस अधिसूचना में समय-सीमा के संबंध में खंड में उल्लिखित की गई समय-सीमा के भीतर समस्त संगत सूचना प्रस्तुत करने के लिए अलग से सूचित किया जा रहा है। ऐसी समस्त सूचना इस जांच शुरुआत अधिसूचना, पाटनरोधी नियमावली तथा प्राधिकारी द्वारा जारी व्यापार नोटिस द्वारा निर्धारित की गई समय सीमा के भीतर, विहित प्रपत्र में और विहित ढंग से दाखिल करनी चाहिए।
25. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी इस जांच शुरुआत अधिसूचना द्वारा निर्धारित की गई समय-सीमा के भीतर, विहित प्रपत्र में और विहित ढंग से, इस जांच से संगत अपने अनुरोध प्रस्तुत कर सकता है।
26. प्राधिकारी के समक्ष कोई भी गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार को अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराए जाने के लिए उसका एक अगोपनीय अंश प्रस्तुत करना अपेक्षित है।
27. हितबद्ध पक्षकारों को यह भी परामर्श दिया जाता है कि वे इस जांच के संबंध में किसी भी अद्यतन सूचना के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी की आधिकारिक वेबसाइट <http://www.dgtr.gov.in/> पर नियमित रूप से नजर रखें।

ठ. समय-सीमा

28. वर्तमान जांच से संबंधित कोई सूचना निर्दिष्ट प्राधिकारी को नियमावली के नियम 6 (4) के अनुसार नोटिस प्राप्त होने की तारीख से तीस (30) दिनों के भीतर ई-मेल पतों adg16-dgtr@gov.in, adv13-dgtr@gov.in, jd12-dgtr@gov.in और jd16-dgtr@gov.in पर करने चाहिए। तथापि, यह नोट किया जाए कि उक्त नियम के स्पष्टीकरण के संदर्भ में, सूचना और अन्य दस्तावेज आमंत्रित करने संबंधी नोटिस जिस तारीख को निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा नोटिस भेजा गया था अथवा निर्यातक देश के उपयुक्त राजनायिक प्रतिनिधि को प्रदान किया गया था, उसके

एक सप्ताह के भीतर उसे प्राप्त किया हुआ माना जाएगा। यदि विहित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं है या प्राप्त सूचना अधूरी होती है तो प्राधिकारी पाटनरोधी नियमावली के अनुसार रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

29. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना देने और उपर्युक्त समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने की सलाह दी जाती है।
30. जहां कोई हितबद्ध पक्षकार अनुरोधों को दायर करने के लिए अतिरिक्त समय की मांग करता है, तो ऐसे अनुरोधों से पाटनरोधी नियमावली के नियम 6 (4) के अनुसार ऐसे समय विस्तार के लिए पर्याप्त कारण बताए जाएं और ये अनुरोध इस अधिसूचना में निर्धारित समय के भीतर किए जाएं।

ड. गोपनीय आधार पर सूचना की प्रस्तुति

31. जहां वर्तमान जांच के लिए कोई पक्षकार प्राधिकारी के समक्ष गोपनीय आधार पर अनुरोध करता है या गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करता है तो पाटनरोधी नियमावली के नियम 7(2) के अनुसार और इस संबंध में प्राधिकारी द्वारा जारी व्यापार सूचना के अनुसार उसका अगोपनीय अंश भी साथ में प्रस्तुत करना अपेक्षित होता है। उपर्युक्त का पालन न किए जाने पर उत्तर/ अनुरोध को अस्वीकृत किया जा सकता है।
32. प्रश्नावली के उत्तर सहित प्राधिकारी के समक्ष कोई अनुरोध (उसके साथ में संलग्न परिशिष्ट/ अनुबंध सहित) प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों के लिए गोपनीय और अगोपनीय अंश अलग-अलग प्रस्तुत करना अपेक्षित है।
33. अनुरोधों पर प्रत्येक पृष्ठ के ऊपरी हिस्से पर स्पष्ट रूप से “गोपनीय” या “अगोपनीय” अंकित होना चाहिए। ऐसे अंकन के बिना प्रस्तुत सूचना को प्राधिकारी द्वारा “अगोपनीय” माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोध का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे।
34. गोपनीय पाठ में ऐसी सभी सूचना शामिल होगी, जो गोपनीय प्रकृति की है और/ अथवा ऐसी अन्य सूचना शामिल होगी, जिसके लिए उस सूचना के आपूर्तिकर्ता द्वारा गोपनीय होने का दावा किया गया है, जिस सूचना के गोपनीय प्रकृति की होने का दावा किया गया है अथवा जिस सूचना के अन्य कारणों से गोपनीय होने का दावा किया गया है, उस सूचना के आपूर्तिकर्ता को आपूर्ति की गई सूचना के साथ उचित कारण बताते हुए विवरण प्रस्तुत करना होगा कि क्यों ऐसी सूचना प्रकट नहीं की जा सकती।
35. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दाखिल की गई सूचना के अगोपनीय पाठ को उस सूचना, जिसके बारे में गोपनीय होने का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानतः सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई (यदि सूचीबद्ध करना व्यवहार्य न हो) और सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है।
36. अगोपनीय सारांश पर्याप्त रूप से विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना की विषय वस्तु को तर्कसंगत ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नहीं है और पाटनरोधी नियमावली के नियम 7 तथा प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए उपर्युक्त व्यापार नोटिसों के संदर्भ में पर्याप्त और उचित स्पष्टीकरणों सहित इस आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि इसका सारांशीकरण क्यों संभव नहीं है। अन्य हितबद्ध पक्षकार दस्तावेजों के अगोपनीय पाठ की प्रति के सात (7) दिनों के भीतर, दावा की गई गोपनीयता पर उनकी टिप्पणी को भेज सकते हैं।
37. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप से अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।
38. बिना किसी सार्थक अगोपनीय रूपांतरण के या पाटनरोधी नियमावली के नियम 7 तथा प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए उपर्युक्त व्यापार नोटिसों के संदर्भ में गोपनीयता के दावे के बारे में यथोचित कारण के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा।
39. प्राधिकारी द्वारा संतुष्ट होने पर और प्रदान की गई सूचना के गोपनीय होने की जरूरत को स्वीकार करते हुए, ऐसी सूचना प्रदान करने वाले पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी अन्य पक्षकार को इसे प्रकट नहीं किया जाएगा।

ढ. हितबद्ध पक्षकारों के बीच उत्तरों/ अनुरोधों का साझाकरण

40. पंजीकृत हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची डीजीटीआर की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी और साथ में उनमें सभी को अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों के अगोपनीय पाठ ई-मेल पर भेजने का अनुरोध किया जाएगा क्योंकि सार्वजनिक फाइल वर्तमान वैश्विक महामारी के कारण वास्तविक रूप से सुलभ नहीं होगी।

ण. असहयोग

41. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर अथवा इस जांच में प्राधिकारी द्वारा इस जांच शुरूआत अधिसूचना में निर्दिष्ट समय के भीतर आवश्यक सूचना प्रदान करने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी ऐसे हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं और केंद्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

अनन्त स्वरूप, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Commerce)
(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)
INITIATION NOTIFICATION

New Delhi the 31st March, 2023

Case No. AD (OI)-1/2023

Subject : Initiation of anti-dumping investigation concerning imports of “Easy open ends of tin plate, including electrolytic tin plate (ETP), measuring 401 Diameter (99MM) and 300 Diameter (73MM) in dimension” originating in or exported from China PR.

1. **F. No. 6/1/2023-DGTR.**—M/s-Easy Openends India Private Limited (an MSME unit) (hereinafter also referred to as the "applicant" or the "petitioner") has filed an application before the Designated Authority (hereinafter also referred to as the "Authority") on behalf of the domestic industry, in accordance with the Customs Tariff Act, 1975, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the "Act") and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping duty on Dumped Articles for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the "Rules" or the "AD Rules") for initiation of an anti-dumping investigation concerning imports of “Easy open ends of tin plate, including electrolytic tin plate (ETP), measuring 401 Diameter (99MM) and 300 Diameter (73MM) in dimension” (hereinafter referred to as the "subject goods" or the "product under consideration"), originating in or exported from China PR (hereinafter referred to as the "subject country").
2. The applicant has alleged that material injury is being caused to the domestic industry due to dumped imports of the subject goods originating in or exported from the subject country and has requested for the imposition of anti-dumping duty on the import of the subject goods originating in or exported from the subject country.

A. PRODUCT UNDER CONSIDERATION (PUC)

3. The product under consideration (PUC) in the application is “Easy open ends of tin plate, including electrolytic tin plate (ETP), measuring 401 Diameter (99MM) and 300 Diameter (73MM) in dimension”.
4. The subject goods are essentially easy to open lids or open ends of cans/containers which are used in packaging of consumable and other items such as fresh and preserved foods and beverages etc. The subject goods cover easy open ends that are manufactured using tin plate including electrolytic tin plate (ETP) and are full aperture or fully openable in nature and are normally lacquered and carry opening instructions printed on top side of the easy open ends/lid. The traditional lids to be used/stamped to the cans/containers in packaging requires an external tool or force to open the lid, whereas, easy open ends can be seamlessly opened by pulling the ring stamped on to the outer side of the easy open end itself.

5. Also, the subject goods cover only easy open ends that measures 401 Diameter (99MM) and 300 Diameter (73MM) in dimension wherein 401 Diameter stands for 4 inches and 1/16th of an inch and 300 Diameter stands for 3 inches. These dimensions are in line with the universal dimensions followed by can/container and lid producers at large to ensure proper seaming of lids with the cans/containers. The product is generally traded by quoting the Diameter of the product and instances of mentioning dimensions also in millimeter (MM) terms are very often.
6. For clarity, the following are not covered in the scope of PUC;
 - a) Easy open ends that are manufactured of materials other than tin plate, such as aluminum, tin free sheet etc.
 - b) Easy open ends having dimensions other than 401 Diameter (99MM) and 300 Diameter (73MM) of any make/input material.
 - c) Easy open ends of partial or short aperture of any make and dimension.
7. Product under consideration falls under Miscellaneous articles of base metal under Chapter 83 of the Customs Tariff Act, 1975 and further under customs sub-heading no. 8309 90 20 which is not a dedicated classification for PUC. However, the applicant has claimed that there is a possibility of import of the product under consideration under any other heading / tariff item. The HS classification for the product under consideration is only indicative and in no way binding upon the product scope.

B. LIKE ARTICLE

8. The applicant has claimed that there is no known difference in the subject goods produced by the domestic industry and the subject goods imported from the subject country. Both the goods are comparable in terms of physical & chemical characteristics, functions & uses, pricing, distribution & marketing, and tariff classification of the goods. The Authority notes that the two products are technically and commercially substitutable. The consumers have used and are using the two products interchangeably. Therefore, for the purpose of the present investigation, the subject goods produced by the domestic industry are being treated as 'like article' to the subject goods imported from the subject country.

C. PCN System

9. All interested parties to the investigation may provide their proposal for construction of PCNs, if any, within 20 days from the issue of this notification.

D. SUBJECT COUNTRY

10. The subject country is China PR for the present investigation.

E. PERIOD OF INVESTIGATION (POI)

11. The applicant has considered 1st October 2021 to 30th September 2022 (12 months) as the proposed POI. However, the Authority proposes to consider the POI as 1st January 2022 to 31st December 2022 (12 months). The injury investigation period will cover April 2019-March 2020, April 2020-March 2021, April 2021-March 2022 and the POI.

F. DOMESTIC INDUSTRY AND STANDING

12. The application has been filed by M/s Easy Openends India Private Limited (an MSME unit). The applicant has claimed that it is the sole producer of the product under consideration in India, constituting 100% of the Indian production. The applicant has claimed that they are not related to any importer of the subject goods in India or any of the producers/ exporters of the subject goods in the subject country within the meaning of Rule 2(b) of the Anti-dumping Rules.
13. As per the information provided, the applicant has not imported the subject goods from China PR during the POI and injury period. However, the applicant provided details of one instance of import of PUC in the post POI period for which the order was placed during the POI along with the reasons for such import. It is noted that the volume of imports by the applicant from China

PR even during the post POI period is not significant to disqualify it from being treated as eligible domestic industry.

14. On the basis of information provided, the Authority is *prima facie* satisfied that the application has been made by or on behalf of the domestic industry in terms of the provisions contained in Rule 2 (b) and Rule 5 (3) of the Rules

G. BASIS OF ALLEGED DUMPING

Normal value for China PR

15. The applicant has claimed that in terms of Article 15(a)(i) of China's Accession Protocol and Para 7 of the Annexure-I to the AD Rules, the normal value of producers of China PR may be determined based on the cost or domestic selling price prevailing in China PR only if the responding producers from China PR demonstrate that their cost and price information are based on market driven principles and allow for fair comparison in terms of paras 1 to 6 of Annexure-I to the AD Rules, failing which, normal value for the producers from the subject country be determined based on paras 7 and 8 of Annexure-I to the AD Rules.
16. The applicant has also claimed that the data relating to cost or price in a market economy third country or recourse to other alternative methods is not available at this stage. The normal value has been, therefore, constructed based on the best estimates of the cost of the production in India of the subject goods as per the best information available after duly adjusting the selling, general and administrative expenses with reasonable profit margin.

Export Price

17. The applicant has taken the CIF price of imports into India reported as per secondary source data and claimed adjustments on account of ocean freight, marine insurance, inland freight, documentation charges, handling and clearing charges and credit cost to determine the ex-factory export price.

Dumping Margin

18. The normal value and the export price have been compared on per Piece basis at the ex-factory level, which *prima facie* shows that the dumping margin is above the de-minimis level and is significant in respect of the product under consideration from the subject country. Thus, there is sufficient *prima facie* evidence that the product under consideration from the subject country is being dumped in the domestic market of India by the exporters from the subject country.

H. INJURY AND CAUSAL LINK

19. Information furnished by the applicant has been considered for assessment of injury to the domestic industry. The applicant has provided *prima facie* evidence with respect to the injury suffered by the domestic industry because of the alleged dumped imports in the form of increased volume of dumped imports in absolute as well as in relative terms in comparison to the production and consumption in India. The applicant has claimed that imports are undercutting the prices of the domestic industry and subject imports prevented the domestic industry from increasing the prices so as to recover full cost and to earn reasonable profits. The domestic industry suffered financial losses as reflected in negative PBT, negative PBIT, negative PBDIT and cash losses including negative ROI during the POI. Growth was negative in majority of the injury parameters during the POI. Also, volume parameters such as production, sales and capacity utilization showed declines during the POI.
20. There is sufficient *prima facie* evidence of injury being caused to the domestic industry by dumped imports of the subject goods from China PR.

I. INITIATION OF ANTI-DUMPING INVESTIGATION

21. On the basis of the duly substantiated written application by the applicant, and having satisfied itself, on the basis of the *prima facie* evidence submitted, about dumping of the subject goods originating in or exported from the subject country, injury to the domestic industry and causal link between such alleged dumping and injury, and in accordance with Section 9A of the Act read with Rule 5 of the AD Rules, the Authority, hereby, initiates an investigation to determine the existence, degree and effect of any alleged dumping in respect of the subject goods originating in or exported from the subject country and

to recommend the amount of anti-dumping duty, which if levied, would be adequate to remove the injury to the domestic industry.

J. PROCEDURE

22. The principles as stipulated under Rule 6 of the AD Rules shall be followed in the present investigation.

K. SUBMISSION OF INFORMATION

23. All communication should be sent to the Designated Authority via email at the email addresses adg16-dgtr@gov.in, adv13-dgtr@gov.in, jd12-dgtr@gov.in and jd16-dgtr@gov.in. It should be ensured that the narrative part of the submission is in searchable PDF/MS Word format and data files are in MS Excel format.

24. The known producers/exporters in the subject country, the Governments of the subject country through their embassy in India, the importers and users in India who are known to be associated with the subject goods are being informed separately to enable them to file all the relevant information within the time limits mentioned in section pertaining to time limits in this notification. All such information must be filed in the form and manner as prescribed by this initiation notification, the AD Rules and the applicable trade notices issued by the Authority.

25. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the form and manner prescribed by this initiation notification, the AD Rules and the applicable trade notices issued by the Authority within the time-limit mentioned in this initiation notification.

26. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other interested parties.

27. Interested parties are further advised to keep a regular watch on the official website of the Designated Authority <http://www.dgtr.gov.in/> for any updated information with respect to this investigation.

L. TIME LIMIT

28. Any information relating to the present investigation should be sent to the Designated Authority via email at the email addresses adg16-dgtr@gov.in, adv13-dgtr@gov.in, jd12-dgtr@gov.in and jd16-dgtr@gov.in within thirty (30) days from the date of receipt of the notice as per Rule 6(4) of the Rules. It may, however, be noted that in terms of explanation of the said Rule, the notice calling for information and other documents shall be deemed to have been received within one week from the date on which it was sent by the Designated Authority or transmitted to the appropriate diplomatic representative of the exporting countries. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the AD Rules.

29. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses within the above time limit.

30. Where an interested party seeks additional time for filing of submissions, it must demonstrate sufficient cause for such extension in terms of Rule 6(4) of the AD Rules and such request must come within the time stipulated in this notification.

M. SUBMISSION OF INFORMATION ON A CONFIDENTIAL BASIS

31. Where any party to the present investigation makes confidential submissions or provides information on a confidential basis before the Authority, it is required to simultaneously submit a non-confidential version of such information in terms of Rule 7(2) of the AD Rules and in accordance with the relevant trade notices issued by the Authority in this regard. Failure to adhere to the above may lead to rejection of the response / submissions.

32. The parties making any submission (including Appendices/Annexures attached thereto), before the Authority including questionnaire response, are required to file confidential and non-confidential versions separately.

33. The submissions must be clearly marked as "confidential" or "non-confidential" at the top of each page. Any submission which has been made to the Authority without such markings shall be treated as "non-confidential" information by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect such submissions.
34. The confidential version shall contain all information which is by nature confidential and/or other information which the supplier of such information claims as confidential. For information which are claimed to be confidential by nature or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed.
35. The non-confidential version of the information filed by the interested parties is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (in case indexation is not feasible) and summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed.
36. The non- confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on a confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons containing a sufficient and adequate explanation in terms of Rule 7 of the AD Rules and appropriate trade notices issued by the Authority, as to why such summarization is not possible must be provided to the satisfaction of the Authority. The other interested parties can offer their comments on the confidentiality claimed within seven (7) Days of receipt of the non-confidential version of the documents.
37. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.
38. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without a good cause statement in terms of Rule 7 of the AD Rules and appropriate trade notices on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.
39. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided, shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

N. SHARING OF RESPONSES/SUBMISSIONS AMONGST INTERESTED PARTIES.

40. A list of registered interested parties will be uploaded on the DGTR's website along with the request therein to all of them to email the non-confidential version of their submissions to all other interested parties since the public file will not be accessible physically due to the ongoing global pandemic.

O. NON-COOPERATION

41. In case any interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period or within the time stipulated by the Authority in this initiation notification, or significantly impedes the investigation, the Authority may declare such interested party as non-cooperative and record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

ANANT SWARUP, Designated Authority